अति.आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय/2008/896 दिनांकः- 25-04-2020

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को Pandemic घोषित किया हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के श्रृंखलाबद्व फैलाव संक्रमित व्यक्तियों के निवास क्षेत्रों के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र मण्डावा, नवलगढ, खेतड़ी एवं ग्राम गुढा में दिनांक 28.04.2020 तक कर्फ्यू लगा हुआ है। भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के ओदश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 15.04.2020 के तहत मॉडिफाइड लॉकडाउन (2.0) 20 अप्रैल, 2020 से 03 मई, 2020 के दौरान इस कार्यालय के आदेश कमांक 851 दिनांक 19.04.2020 के द्वारा कतिपय गतिविधियां अनुमत की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 25.04.2020 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के आदेश कमांक 851 दिनांक 19.04.2020 की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश दिये जाते है :-

1. कर्फ्यूग्रस्त नगरपालिका क्षेत्र नवलगढ, खेतड़ी, मण्डावा एवं ग्राम गुढा को छोड़कर समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पंखों की दुकाने, प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन रीचार्ज आउटलेट्स खुले रहेगें।
2. बिन्दु संख्या 01 में वर्णित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर समस्त जिले में निम्न दुकाने खुली रहेगी :-
   (अ) फल एवं सब्जियां, दुध, डेयरी उत्पादन, अण्डे, मीट, चिकिन, फिश।
   (ब) राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकानें।
   (स) उचित दूरी पर टायर, पक्चर रिपेयर की दुकाने।
   (द) राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
   (य) सभी प्रकार के वाहनों के लिये अधिकृत कम्पनी सेवा/मरम्मत केन्द्र।
   (र) अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट की दुकानें।

नोट नम्बर-01 :-

होम डिलीवरी पर जोर दिया जायेगा। अनुमत दुकाने यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी व्यवस्थाऐं है तथा यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त कर सकती है। सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित एवं लान्च किये गये ऑनलाईन एप का उपयोग किया जावे। दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो।

1. दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको किक्री नहीं की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।
2. एक समय पर छोटी दुकान 2 से अधिक एवं बड़ी दुकान में 05 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुये दुकान के बाहर पंक्ति मे अपनी बारी की प्रतिक्षा करेगें।

District Magistrate
JHUNJHUNU

पास की व्यवस्थाः-

दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टाफ जो होम डिलिवरी में नियोजित है सहित, को जिला प्रशासन/ पुलिस द्वारा पास जारी किये जायेगें। RAJCOP CITIZEN APP या ऑनलाईन https://epass.rajasthan.gov.in से प्राप्त करने पर भी पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 851 दिनांक 19.04.2020 में दिये गये निर्देश यथा संशोधित प्रभावी रहेगें।

नोट नम्बर-02 :-

1. सभी विभागों से अपेक्षा है कि अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/वाहन के पास/अनुमति RAJCOP CITIZEN APP पर ही ऑन लाईन जारी करें। यथासंभव किसी भी व्यक्ति को पास हेतु कार्यालय में नही बुलाऐं।
2. लॉकडाउन 2.0 की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संचालन का स्पष्टीकरण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा।
3. किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नहीं हो, हैण्ड सैनेटाईजर, मास्क, गलब्स एवं सामाजिक दूरी वनाये रखा जाना सुनिश्चित करेंगें।
4. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त सभी गतिविधियों में नियमों का उल्लघंन करने वालो पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की तामील व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रेल, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया ।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनूं
District Magistrate
JHUNJHUNU

कमांकः एफ.16(6)(3)न्याय / 2008 / 896 दिनांकः– 25-04-2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुन्झुनूं।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त जिला झुंझुनू।
8. उप पुलिस अधीक्षक, ____________________ (समस्त जिला झुंझुनूं)
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुन्झुनूं।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं।
11. आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
12. प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा / प्रा., झुन्झुनूं।
14. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनूं ।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं ।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुन्झुनूं।
17. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू।
18. जिला स्तरीय / उप खण्ड स्तरीय अधिकारीगण समस्त जिला झुन्झुनूं।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनूं
District Magistrate
JHUNJHUNU
25/4/2020

Scanned by CamScanner